e/; ins'k 'kklu

lkekftd U;k; foHkkx

lkekftd lgk;rk@vkfFkd lqj{kk dk;de&

- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
- आम आदमी बीमा योजना
- जनश्री बीमा योजना
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
- अन्त्येष्टि सहायता
- माता–पिता, वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम

lex lkekftd lj{kk i'ku ;ktuk ¼25-06-2013½ (SSSP)

ik=rk d ekin.M&

म.प्र.के मूल निवासी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले।

- 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
- 18 वर्ष से 39 वर्ष की विधवा।
- 18 से 59 वर्ष की परित्यक्तता महिला।
- 6 वर्ष से अधिक 18 वर्ष से कम आयु के निःशक्तजन (न्यूनतम निःशक्तता 40 प्रतिशत)

vko';d nLrkot&

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज– स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता सूची/मतदाता परिचय पत्र, जॉबकार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र, उम्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।
- निःशक्त होने पर चिकित्सक द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उसस अधिक का प्रमाण पत्र।
- विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- परित्यक्तता होने पर सरपंच/सचिव, वार्ड पार्षद/राजस्व निरीक्षक का संयुक्त प्रमाण पत्र, न्यायालयीन आदेश।

i'ku jkf'k& jkT;k'k l 150 :- ifrekg

i'ku Lohdfr gr ikf/kdr vf/kdkjh ,o vihyh; vf/kdkjh

{k=	vf/kdkjh	le;kof/k	iFke vihyh; vf/kdkjh	f}rh; vihyh; vf/kdkjh
ग्रामीण क्षेत्र	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 30 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र	आयुक्त नगर निगम	60 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस	संभागीय कमिश्नर 30 कार्य दिवस
	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिक/नगर परिषद	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 30 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस

ifd;k&

- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निकाय को प्रस्तुत, निर्धारित प्रपत्र में अभिस्वीकृति
- आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत/अधीनस्थ से प्रतिवेदन
- प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृति/अस्वीकृत
- अस्वीकृत प्रकरण कारण सहित सूचित किया
- पेंशन पात्रता होने पर पंजीयन माह से स्वीकृति जारी
- नियमित भुगतान

bfnjk xka/kh jk"Vªh; o`)koLFkk isa'ku ;kstuk ¼ IGNOAPS ½

ik=rk dk ekin.M&

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 वर्ष अथवा अधिक आयु के वृद्ध/वृद्धा।

vkos';d nLrkost&

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज– स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता सूची/मतदाता परिचय पत्र, जॉबकार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र, उम्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।

isa'ku jkf'k&

- 60 से 64 वर्ष – 200 रू. (केन्द्रांश) प्रतिमाह।
- 65 से 79 वर्ष – 275 रू. (200 रू. केन्द्रांश 75 रू. राज्यांश) प्रतिमाह।
- 80 वर्ष अधिक – 500 रू. (केन्द्रांश) प्रतिमाह।

isa'ku Lohd`fr gsrq izkf/kd`r vf/kdkjh &

{ks=	vf/kdkjh	le;kof/k	izFke vihyh; vf/kdkjh	f}rh; vihyh; vf/kdkjh
ग्रामीण क्षेत्र	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 30 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र	आयुक्त नगर निगम	60 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस	संभागीय कमिश्नर 30 कार्य दिवस
	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिक/नगर परिषद	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 30 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस

izfdz;k&

- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निकाय को प्रस्तुत, निर्धारित प्रपत्र में अभिस्वीकृति
- आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत/अधीनस्थ से प्रतिवेदन
- प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृति/अस्वीकृत
- अस्वीकृत प्रकरण कारण सहित सूचित किया
- पेंशन पात्रता होने पर पंजीयन माह से स्वीकृति जारी
- नियमित भुगतान

bfnjk xk/kh jk"Vh; fo/kok i'ku ;ktuk ¼IGNWPS½

ik=rk dh ekin.M&

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की विधवा महिला।

vko';d nLrkost&

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज– स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता सूची/मतदाता परिचय पत्र, जॉबकार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र, उम्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

i'ku jkf'k&

- 300 रू. प्रतिमाह (केन्द्रांश)

i'ku Lohdfr grq ikf/kdr vf/kdkjh &

{k=	vf/kdkjh	le;kof/k	iFke vihyh; vf/kdkjh	f}rh; vihyh; vf/kdkjh
ग्रामीण क्षेत्र	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 30 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र	आयुक्त नगर निगम	60 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस	संभागीय कमिश्नर 30 कार्य दिवस
	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिक/ नगर परिषद	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 30 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस

ifd;k&

- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निकाय को प्रस्तुत, निर्धारित प्रपत्र में अभिस्वीकृति
- आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत/अधीनस्थ से प्रतिवेदन
- प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृति/अस्वीकृत
- अस्वीकृत प्रकरण कारण सहित सूचित किया
- पेंशन पात्रता होने पर पंजीयन माह से स्वीकृति जारी
- नियमित भुगतान

bfnjk xk/kh jk"Vh; fu%'kDr i'ku ;ktuk ¼IGNDPS½

ik=rk d ekin.M&

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु समूह के 80 प्रतिशत सीवियर डिसेबिलिटी वाले निःशक्तजन।

vko';d nLrkost&

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज– स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता सूची/मतदाता परिचय पत्र, जॉबकार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र, उम्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।
- चिकित्सक द्वारा जारी 80 प्रतिशत निःशक्तता प्रमाण पत्र।

i'ku jkf'k&

- 300 रू. प्रतिमाह (केन्द्रांश)

i'ku Lohdfr gr ikf/kdr vf/kdkjh &

{k=	vf/kdkjh	le;kof/k	iFke vihyh; vf/kdkjh	f}rh; vihyh; vf/kdkjh
ग्रामीण क्षेत्र	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 30 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र	आयुक्त नगर निगम	60 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस	संभागीय कमिश्नर 30 कार्य दिवस
	मुख्य नगर पालिक अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 30 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस

ifd;k&

- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निकाय को प्रस्तुत, निर्धारित प्रपत्र में अभिस्वीकृति
- आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत/अधीनस्थ से प्रतिवेदन
- प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृति/अस्वीकृत
- अस्वीकृत प्रकरण कारण सहित सूचित किया
- पेंशन पात्रता होने पर पंजीयन माह से स्वीकृति जारी
- नियमित भुगतान

jk"Vªh; ifjokj lgk;rk ;kstuk ¼NFBS½

ik=rk d¢ ekin.M&

- मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य होना चाहिए।
- मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक 59 वर्ष से कम होना चाहिए।

vko';d nLrkost&

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज– स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता सूची/मतदाता परिचय पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में एफ.आई.आर. FIR

lgk;rk jkf'k&

- 20000 रू. (केन्द्रांश)

Lohdfr grq ikf/kdr vf/kdkjh &

{ks=	vf/kdkjh	le;kof/k	iFke vihyh; vf/kdkjh	f}rh; vihyh; vf/kdkjh
ग्रामीण क्षेत्र	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 30 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र	आयुक्त नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस	संभागीय कमिश्नर 30 कार्य दिवस
	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिक/नगर परिषद	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 30 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस

ifd;k&

- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निकाय को प्रस्तुत, निर्धारित प्रपत्र में अभिस्वीकृति
- आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत/अधीनस्थ से प्रतिवेदन
- प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृति/अस्वीकृत
- अस्वीकृत प्रकरण कारण सहित सूचित किया

eq[;ea=h dU;k vfHkHkkod isa'ku

ik=rk d ekin.M&

- मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो।
- दंपत्ति में से किसी एक की न्यनतम आयु 60 वर्ष हो।
- दंपत्ति की संतान मात्र पुत्री हो, पुत्रियों का विवाह हो चुका हो।
- दंपत्ति आयकर दाता न हो।

vko';d nLrkost&

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- राशन कार्ड।
- आयकर दाता नहीं होने एवं न ही संतान के रूप में पुत्र होने का 50 रू. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सत्यापित शपथ।
- आयु प्रमाण पत्र (स्कूल का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, चिकित्सक प्रमाण पत्र dksbZ ,d)
- अन्य दस्तावेज– विधवा अथवा परित्यक्तता होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्तता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।

lgk;rk jkf'k&

- 500 रू. प्रतिमाह (राज्यांश)

Loh—fr gsrq ikf/k—r vf/kdkjh &

{ks=	vf/kdkjh	le;kof/k	iFke vihyh; vf/kdkjh	f}rh; vihyh; vf/kdkjh
ग्रामीण क्षेत्र	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 30 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र	आयुक्त नगर निगम	60 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस	संभागीय कमिश्नर 30 कार्य दिवस
	मुख्य नगर पालिक अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 30 कार्य दिवस	कलेक्टर 30 कार्य दिवस

fo'ks"k& स्वीकृति से पूर्व हितग्राही दंपत्ति का कोर बैंकिग बैंक में बचत खाता खुलवाना अनिवार्य होगा तभी अंतिम स्वीकृति आदेश मान्य किया जाएगा।

e[;e=h etnj lj{kk ;ktuk

1) ;ktuk D;k g&

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भूमिहीन, खेतिहर ग्रामीण मजदूरों जिनके परिवार की किसी भी सदस्य के नाम खेती की भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि, उद्यानिकी, वन रोपण तथा वनोपज संग्रह आदि में नियोजित होकर म.प्र.के निवासी हैं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये दिनांक 11 अक्टूबर 2007 से प्रदेश में प्रारंभ की गई है।

2) ik=rk dh 'krs&

- योजना अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य होगा।
- पंजीयन ग्राम पंचायत द्वारा रू. 10/— देकर पॉच वर्ष के लिये किया जाता है।
- तीन वर्ष पश्चात शुल्क लेकर ग्राम पंचायतों द्वारा नवीनीकरण किया जाता है।

3) D;k ykHk feyxk&

- प्रसूति सहायता।
- छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार।
- दुर्घटना, मृत्यु की स्थिति में अन्त्येष्टि सहायता।

4) D;k djuk gkxk&

- आवेदक पंजीयन एवं फोटो परिचय पत्र हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव से संपर्क कर पंजीयन करायेगें एवं फोटो परिचय पत्र प्राप्त करेंगे। योजना के अंतर्गत आवश्यकतानुसार सुविधाएॅं हेतु भी संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव से संपर्क करेंगे। सचिव द्वारा संबंधित सुविधाओं का प्रकरण तैयार कर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अनुशंसा सहित प्रस्तुत करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा प्रकरण स्वीकृत किया जाऐगा।

5) vkonu ds lkFk layXu gkus okys iek.k i=&

- पंजीयन।
- फोटो परिचय पत्र।

vke vkneh chek ;ktuk

1) *;ktuk D;k g&*

यह योजना केन्द्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय विभाग की भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा व्यसीापित विशेषकर ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिये निःशुल्क जीवन बीमा योजना है।

2) *ik=rk dh 'kr&*

- 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति एवं सदस्य।
- ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख या परिवार का रोजगार करने वाला एक व्यक्ति हो सकता है।

3) *D;k ykHk feyxk&*

- दुर्घटना से मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना के कारण आंशिक/पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर निम्न लाभ देय होगें–
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75000/– रू.
- दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 75000 रू.
- बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30000/– का बीमा धन नामांकित व्यक्ति को देय होगा।
- 9वीं से 12वीं अध्ययनरत् 2 छात्रप्रति परिवार का प्रतिमाह 100/– रू. शिक्षावृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जाऐगी।

4) *D;k djuk gkxk&*

- आवेदक पंजीयन एवं फोटो परिचय पत्र हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव से संपर्क कर पंजीयन करायेगें एवं फोटो परिचय पत्र प्राप्त करेंगे। योजना के अंतर्गत आवश्यकतानुसार सुविधाएँ हेतु भी संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव से संपर्क करेंगे। सचिव द्वारा संबंधित सुविधाओं का प्रकरण तैयार कर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अनुशंसा सहित भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत करना होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रकरण स्वीकृत किया जाऐगा।

5) *vkonu d lkFk lyXu gkus oky iek.k i=&*

- आयु प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र।
- अपंगता की दशा में जिला मेडिकल बोर्ड का निःशक्तता प्रमाण पत्र।

tuJh chek ;kstuk

1) ;kstuk D;k gS&

यह योजना केन्द्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय विभाग की भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा व्यसीापित विशेषकर ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिये निःशुल्क जीवन बीमा योजना है।

2) ik=rk dh 'krsZ&

- 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति एवं सदस्य।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीमित सदस्य।

3) D;k ykHk feysxk&

- दुर्घटना से मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना के कारण आंशिक/पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर निम्न लाभ देय होगें–
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75000/– रू.
- दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 75000 रू.
- बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30000/– का बीमा धन नामांकित व्यक्ति को देय होगा।
- 9वीं से 12वीं अध्ययनरत् 2 छात्रप्रति परिवार का प्रतिमाह 100/– रू. शिक्षावृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जाऐगी।

4) D;k djuk gksxk&

- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक पंजीयन एवं फोटो परिचय पत्र हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव से संपर्क कर पंजीयन करायेगें एवं फोटो परिचय पत्र प्राप्त करेंगे। योजना के अंतर्गत आवश्यकतानुसार सुविधाऍ हेतु भी संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव से संपर्क करेंगे। सचिव द्वारा संबंधित सुविधाओं का प्रकरण तैयार कर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनुशंसा सहित भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत करेगें। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रकरण स्वीकृत किया जाऐगा।
- शहरी क्षेत्र के आवेदक पंजीयन एवं फोटो परिचय पत्र हेतु संबंधित नगरीय निकाय से फोटो परिचय पत्र प्राप्त करेंगे। योजना के अंतर्गत आवश्यकतानुसार सुविधाऍ हेतु भी संबंधित नगरीय निकाय से संपर्क करेंगे। नगरीय निकाय द्वारा संबंधित सुविधाओं का प्रकरण तैयार कर संबंधित नगरीय निकाय अनुशंसा सहित भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत करेगें। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रकरण स्वीकृत किया जाऐगा।

5) vkosnu ds lkFk layXu gksus okys izek.k i=&

- आयु प्रमाण पत्र।
- परिवार का मुखिया होने का प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।

nhun;ky vUR;kn; fe'ku

eq[;ea=h dU;knku ;kstuk

1) ;kstuk D;k gS &

जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/ परित्यक्तता को सामूहिक विवाह के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

2) ik=rk dh 'krsZ &

- मध्य प्रदेश का निवासी हो तथा परिवार मध्य प्रदेश में निवासरत् हो।
- कन्या की उम्र 18 एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम न हो।

3) D;k ykHk feysxk&

- कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिये 5 वर्ष तक के लिए सावधिक जमा रू. 10000/-
- विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री के लिए (मंगलसूत्र, बिछिया, पायजेब (चांदी के) तथा 7 बर्तन) रू. 5000/-
- कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु अन्य सामग्री क्रय के लिए रू. 7000/-
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन की प्रतिपूर्ति हेतु रू. 3000/-

4) D;k djuk gksxk &

कन्या के पिता/अभिभावक को प्रायोजक (जनपद पंचायत/नगरीय निकाय) को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन देना होगा। आवेदन पत्र में कन्या की शादी जहां तय की गई है उनका भी विवरण देना होगा। संबंधित प्रायोजक द्वारा सामूहिक विवाह की नियत तिथि में कन्या एवं वर के साथ नियत स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा ताकि रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न हो सके।

5) vkosnu ds lkFk layXu gksus okys izek.k i= &

- मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- कन्या एवं वर का आयु प्रमाण पत्र।

vUR;sf"V lgk;rk ;kstuk

- अन्त्येष्टि से आशय मृतक के अंतिम संस्कार से है जो उसकी धार्मिक रीति से संपन्न किया जाता हो।
- श्रमिक संवर्ग – श्रमिक संवर्ग से आशय मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संचालित श्रमिक वर्ग की योजनाओं में पंजीकृत सदस्य अथवा लावारिस, अत्यधिक निर्धन, निराश्रित हो से है :–

  1) मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
  2) मध्यप्रदेश शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना
  3) मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक योजना
  4) मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिऐ कल्याण योजना
  5) केश शिल्पी, कल्याण योजना
  6) मध्यप्रदेश हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजना
  7) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की संचालित योजनाऐं
  8) दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना/राज्य बीमारी सहायता/मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना
  9) आम आदमी बीमा योजना/जनश्री बीमा योजना
  10) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/मुख्यमंत्री निकाह योजना

- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- अन्त्येष्टि सहायता हेतु मृतक मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत संचालित श्रमिक संवर्ग के रूप में पंजीकृत परिवार का सदस्य हो।
- जिन हितग्राहियों को अन्त्येष्टि सहायता और जिन मृतकों के लिये अन्त्येष्टि सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उनका नाम समग्र पोर्टल (समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित पोर्टल) पर नाम दर्ज होगा और भुगतान की गई राशि का उसमें विवरण देना होगा।
- अन्येष्टि सहायता हेतु रुपये 2000/– की राशि।
- अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 तक कुल 67 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथाकल्याण अधिनियम 2007

(31 दिसम्बर 2007) म.प्र. में अगस्त 2008 से प्रभावशील एवं नियम 02 जुलाई 2009 से

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य : वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपनी आय अथवा संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण-पोषण करनेमें असमर्थ हैं, वे अपने वयस्क बच्चों अथवा संबंधियों से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं। इस भरण-पोषण में समुचित भोजन, आश्रय, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधायें सम्मिलित हैं।

पात्रता :

- कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और म.प्र. में निवास करता है जिसने 60 वर्ष या अधिक आयु पूर्ण कर ली है।
- परिवार में वयस्क सदस्य या रिश्तेदार वरिष्ठ नागरिक की चल/अचल संपत्ति को कब्जे में किये है और उसका भरण-पोषण नहीं करते हों।
- रिश्ते नातेदारों से अभिप्रेत है पिता-पुत्री, माता-पुत्र एवं भाई-बहन (चचेरे अथवा ममेरे भाई बहन नहीं)

विरोध पक्षकार :

ऐसे पक्षकार जो माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक की पैतृक/स्वयं द्वारा उपार्जित या उसके वैधानिक हक की चल/अचल संपत्ति को (वयस्क दावेदार या वैधानिक उत्तराधिकारी) अपने कब्जे में लिये हैं और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण नहीं करते हैं।

अधिकरण :

वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण तथा कल्याण के लिये विरोधी पक्षकार से हक दिलाने या सुलह कराने वाला अनुभाग स्तर पर अधिकार (ट्रिब्यूनल) है। इस अधिकरण का पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) है।

आवेदन पत्र :

ऐसे वरिष्ठ नागरिक माता-पिता जो अपना जीवन यापन करने में असमर्थ रहते हैं वे अनुभाग स्तर पर गठित अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को आवेदन पत्र देकर न्याय पा सकते हैं।

अपील :

वरिष्ठ नागरिक के पक्ष या विपक्ष में पारित आदेश के विरुद्ध अपील आवेदन पत्र प्राप्त करने जिला स्तर पर गठित अपील अधिकरण है। इसका पोठासीन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट है।

कार्यक्षेत्र :

वरिष्ठ नागरिक माता-पिता अपना आवेदन पत्र जिला स्तर पर गठित अधिकरण को निम्न विकल्पों के साथ संबंधित स्थान पर कर सकता है।

- स्थान जहाँ वरिष्ठ नागरिक निवास करता है या निवास करता था।
- स्थान जहां पर विरोधी पक्षकार निवास करता है या करते हैं।

भरण-पोषण राशि :

अधिकरण द्वारा पारित आदेश में तयशुदा भरण-पोषण राशि आदेश दिनांक से प्रतिमाह विरोधी पक्षकार से 30 दिवस के अंदर वरिष्ठ नागरिक को दिलाई जायेगी परन्तु यह राशि प्रतिमाह रुपया 10,000/- से अधिक की नहीं होगी।

दण्ड :

वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा अथवा परित्याग एक संज्ञेय अपराध है जिसके लिए 5,000/- रुपया जुर्माना या तीन माह की सजा या एक साथ दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।

वृद्धाश्रम :

राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण, भरण-पोषण प्रदान करने के लिये वृद्धाश्रम की स्थापना की गई है।